भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 380

दिनांक 20/07/2021/29 आषाढ़,1943 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के प्रति अपराध

†380. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

श्री गौरव गोगोई:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हुई है और इससे महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित हुई है और

(ख) यदि हां, तो देश में महिलाओं के प्रति ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। वर्ष 2019 तक की प्रकाशित रिपोर्टें उपलब्ध हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित विभिन्न अपराध शीर्षों के तहत दर्ज किए गए मामलों के इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर इनमें कोई एक समान प्रवृत्ति नजर नहीं आती है।

(ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा महिलाओं की जान-माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

तथापि, सरकार ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहलें की हैं, जो नीचे दी गई हैं:

i. यौन अपराधों के प्रभावशाली निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार के मामलों में 2 महीने के भीतर जांच पूरी किए जाने तथा आरोप पत्र दायर करने और विचारण (ट्रायल) को भी 2 महीनों के अंदर पूरा करने का अधिदेश दिया गया है (सीआरपीसी की धारा 173)।

ii. "आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली" में सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय मान्य नम्बर (112) पर आधारित एक प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्थान पर पहुंचाया जाता है।

iii. गृह मंत्रालय ने अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को नागरिकों हेतु साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है।

iv. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। राज्य सरकारों द्वारा ये परियोजनाएं, महिलाओं के प्रति अधिक अपराध वाले स्थलों (हॉट स्पॉट्स) की पहचान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल असेट्स विकसित करने के लिए तैयार की गई हैं, जिनमें अवसंरचना, प्रौद्योगिकी को अपनाना और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए समुदाय में क्षमता निर्माण करना शामिल है।

v. गृह मंत्रालय ने पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) शुरू किया है।

vi. गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसे ट्रैक करने के लिए "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल शुरू किया है।

vii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की इकाइयों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में डीएनए विश्लेषण की एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और स्तरोन्नयन करने की भी मंजूरी प्रदान की है।

viii. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता की सुविधा प्रदान करने के लिए, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरिएंटेशन किट के रूप में यौन हमला साक्ष्य संग्रहण की 14,950 किटें वितरित की हैं।

ix. गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्कों और देश के सभी जिलों में मानव तस्करी-रोधी यूनिटों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए दो परियोजनाएं भी अनुमोदित की हैं।

x. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता रहा है, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

*****